सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 130 राँची, बुधवार, 19 माघ, 1938 (श०) / 8 फरवरी, 2017 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

8 फरवरी, 2017

संख्या-1/नीति-10/2017-214-- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-89 (j) के तहत वर्णित प्रावधान के अनुसार झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा-68 के तहत उत्पाद विषयक अनियमितता/अपराधों के प्रशमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-68 के तहत सामान्य श्रेणी के अपराधों का वर्गीकरण निम्न तालिका के अनुसार किया जाएगा एवं तद्नुसार अपराध के प्रशमन की कार्रवाई की जाएगी :-

क्रमांक	**अपराध की श्रेणी**	**जब्त प्रदर्श**	**प्रति लीटर/मात्रा**	**प्रति लीटर/प्रति किलोग्राम प्रशमन राशि**
1	सामान्य	अवैध सुषव /विकृत सुषव	50 लीटर तक	200/- रू० प्रति 20 लीटर परन्तु 1000/- रू० से कम नहीं
2	सामान्य	देशी शराब	50 लीटर तक	200/- रू० प्रति लीटर परन्तु 1000/- रू० से कम नहीं

3	सामान्य	फरमेन्टेड जावा महुआ	200 किलोग्राम तक	50/- रू० प्रति किलोग्राम परन्तु 1000/- रू० से कम नहीं
4	सामान्य	चुलाई शराब जलती भटठी	50 लीटर	200/- रू० प्रति लीटर परन्तु 1000/- रू० से कम नहीं
5	सामान्य	अवैध पंचवई बिना जलमिश्रित	50 किलोग्राम	200/- रू० प्रति किलोग्राम परन्तु 1000/- रू० से कम नहीं
6	सामान्य	अवैध पंचवई जलमिश्रित	100 किलोग्राम	100/- रू० प्रति किलोग्राम परन्तु 1000/- रू० से कम नहीं
7	सामान्य	विदेशी शराब /भारत निर्मित विदेशी शराब	25 लीटर	400/- रू० प्रति लीटर परन्तु 2000/- रू० से कम नहीं
8	सामान्य	बीयर	50 लीटर	200/- रू० प्रति लीटर परन्तु 2000/- रू० से कम नहीं
9	सामान्य	भांग	50 किलोग्राम तक	200/- रू० प्रति किलोग्राम परन्तु 1000/- रू० से कम नहीं
10	सामान्य	अन्य प्रकार के खुदरा	50 लीटर	200/- रू० प्रति लीटर परन्तु 1000/- रू० से कम नहीं

2- क्रमांक-1 में वर्णित तालिका से अधिक मात्रा में उत्पाद प्रदर्श के जब्त होने पर यह गम्भीर श्रेणी की अपराध/अनियमितता मानी जाएगी एवं तद्नुसार प्रशमन की कार्रवाई की जाएगी ।

3- उत्पाद अनुज्ञाधारियों के सन्दर्भ में सामान्य श्रेणी की अनियमिततायें वही होगी जिसमें राजस्व क्षति सन्निहित न हो एवं केवल नियमों के अनुपालन में शिथिलता बरती गई हो । वैसी अनियमिततायें जिससे स्पष्ट रूप से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है, यह गम्भीर श्रेणी की अनियमिततायें मानी जायेंगी ।

4- लोक अदालत के माध्यम से उत्पाद अभियोगों के प्रशमन के लिये जब्त प्रदर्श की मात्रा सामान्य श्रेणी के अपराधों हेतु वर्णित मात्रा से दुगुना तक होने पर भी लोक अदालत में अभियोग का निष्पादन किया जा सकेगा । लोक अदालत के माध्यम से अभियोगों के निष्पादन हेतु प्रति लीटर/प्रति किलोग्राम प्रशमन की राशि को आधा किया जा सकेगा ।

वैसे मामले जिसमें जब्त प्रदर्श की मात्रा सामान्य श्रेणी के अपराधों हेतु वर्णित मात्रा के दुगुना से भी अधिक है, को लोक अदालत में तभी निष्पादित किया जा सकेगा जब दर्ज अभियोग कम-से-कम पाँच वर्ष पूर्व का हो तथा अभियुक्त के खिलाफ अभियोग दर्ज करने की तिथि के पश्चात् कोई भी

उत्पाद नियम उल्लंघन विषयक मामला दर्ज नहीं किया गया हो । आदतन अपराधियों के मामलों का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा । लोक अदालत के माध्यम से वैसे मामलों का भी निष्पादन नहीं किया जा सकेगा जिसमें आई०पी०सी० की धारा भी उत्पाद अधिनियम की धारा के साथ जोड़ी गई हो ।

5- उपायुक्त/जिला उत्पाद पदाधिकारी को यह संदेह होने पर कि अनुज्ञाधारी द्वारा बरती गई अनियमितता सामान्य श्रेणी की है अथवा गम्भीर श्रेणी की है, का निर्वचन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जाएगा ।

यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
सरकार के सचिव,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 130--200